



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमैन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मोर्य के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाधार सिंह तथा उनकी टीम ताश के पत्तों पर हाज-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त 1. सुंदरलाल केसरवानी पुत्र सत्यनारायण 2. मो0 इकबाल पुत्र याकूब 3. इशरार पुत्र रउफ खान 4. राजू द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी निवासीगण कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफलड 11300/- रुपये, 52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी से 1630/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1.मालफड 11300/- रुपये व 52 ताश के पत्ते

2. जामा लताशी से 1630/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना बरगढ़
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार प्रधान
3. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
4. आरक्षी आकाश कुमार
5. आरक्षी रोहित यादव
6. आरक्षी अश्विनी
7. आरक्षी शुभम यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1. रवि पुत्र भइयालाल निवासी बालापुर अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2. नीरज पुत्र राममिलन निषाद निवासी मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध थाना 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1. सुनील कामर पुत्र मेवालाल निवासी चमरौंहा 2. सुरेश कुमार पुत्र सुन्दर निवासी ऐलहा 3. श्रीपाल पुत्र महेश यादव निवासी रानीपुर 4. विजयशंकर तिवारी पुत्र बलरामप निवासी छिरहाई 5. दीपू उर्फ दीनू पुत्र सत्यनाराण तिवारी निवासी कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मुकेश परिहार तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मो0 हसन उर्फ बक्कू पुत्र अनवर अली निवासी महावीर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

30 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री मुकेश परिहार थाना मानिकपुर
2. आरक्षी भास्कर शुक्ला
3. आरक्षी गजेन्द्र सिंह

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2018 धारा 363,366,376(2)(1) भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त संजय पुत्र मुन्ना उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 23.06.2018 को वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अभियुक्त संजय उपरोक्त तथा सोनू पुत्र बबलू वैश्य निवासी बरिया थाना मऊ द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 126/2028 धारा 363,366 भादवि0 बनाम संजय व सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री रजनीश कुमार यादव द्वारा की गयी तथा दिनांक 25.06.2018 को पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता के धारा 164 के बयान एवं विवेचना से अभियुक्त सोनू उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गयी थी तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी थी। दिनांक 02.07.2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 11.08.2018 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनांक 03.04.2024 को आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री बालकृष्ण त्रिपाठी व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के संबंध में कानून व्यवस्था तथा निर्वाचन से संबंधी अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा ने सभी अधिकारियों से कहा कि पोलिंग पार्टियों रवाना स्थल पर दोनों विधानसभा के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित करें जो सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेट रिजर्व ईवीएम मशीन मतदान के दिन रखेंगे उसको अच्छी तरह से संभाल कर रखें इस मतदान को त्यौहार के रूप में मतदाता मनये स्वीप के माध्यम से प्रत्येक गांव में प्रचार प्रसार किया जाए और पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन लिखवाया जाए मतदान के दिन बूथ के पास 200 मीटर के अंदर कोई भी राजनीतिक पंडाल, भीड भाड आदि नहीं लगेंगे बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर मतदाता पर्ची अवश्य बांटे ताकि जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो सके उन्होंने कहा कि 80 प्लस व दिव्यांग मतदाता जो बूथ पर नहीं आ सकते हैं उनका मतदान पोस्टल बैलेट से कराया जाए उन्होंने वेबकास्टिंग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पिंग बूथ आदि की भी तैयारी के लिए अभी से करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि निर्वाचन को बहुत ही उत्साह के साथ हम आप सबको शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराना है चित्रकूट भगवान श्री राम को तपोस्थली है यहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश तथा गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार निर्वाचन को शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्विघ्न संपन्न कराना हम सबका दायित्व है, उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से कहा कि चुनाव में लगे मतदान कार्मिकों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराए जाने की व्यवस्था की जाए तथा प्रशिक्षण के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी जानकारी मतदान कार्मिकों को अच्छी तरह से दिया जाए ताकि मतदान के दिन कोई समस्या ना हो, उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि गत चुनाव के अनुसार इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना है स्वीप के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराकर अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करके मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करें इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जहां पर 55 प्रतिशत से कम गत चुनाव में मतदान हुआ है उन क्षेत्रों पर घर-घर स्टीकर लगवा कर जागरूक किया जा रहा है इसके अलावा गैस एजेंसी पेट्रोल पंप विद्यालयों आदि के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है आयुक्त ने डीसी एनआरएलएम से कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगाकर गांव स्तर पर आंगनबाड़ी आशा एएनएम की टीम बनाकर मतदाताओं को जागरूक करें जिन बूथों पर मतदान अच्छा होगा वहां के सभी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा आयोग की मंशा है कि सत प्रतिशत मतदान हो इसके लिए सभी बूथों के क्षेत्र पर मतदाताओं को जागरूक करें, उन्होंने वाहनों की उपलब्धता पुलिस व्यवस्था कम्युनिकेशन प्लान बरन्लेबुल बूथ क्रिटिकल बूथ 1950 सी-विजील एप बूथों पर पेयजल छाया रैंप शौचालय फर्नीचर बाउंड्री वॉल, प्रकाश व्यवस्था आवागमन के रास्ते आदि की भी समीक्षा की।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर सभी थानों के अंतर्गत क्षेत्र में कार्यवाही कराई जाए जिला आबकारी अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ टीम बनाकर सघन अभियान चलाएं सभी थानाध्यक्ष शस्त्र लाइसेंस शत प्रतिशत जमा कराए भारत निर्वाचन आयोग इस पर बहुत बारीकी से देखता है, उन्होंने कहा कि वरन्लेबुल तथा क्रिटिकल बूथ जो है उसमें यह देखे की मध्य प्रदेश की सीमा में कितनी दूरी पर स्थित है ताकि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था अधिक कराई जा सके तथा बॉर्डर बैठक भी किया जाए एफ एस टी टीमें लगातार सघन चेकिंग करें, चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई है उसका पालन करना है इस जनपद में 20 मई 2024 को मतदान संपन्न होगा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन सभी पुलिस अधिकारी कराए सभी थानों पर 20 व 30 बिंदुओं पर जो रजिस्टर बनाया जाना है उसे बनाएं तथा उच्च अधिकारियों को निरीक्षण भी कराया जाए

पुलिस अधीक्षक से कहा कि सभी थानों के इन रजिस्ट्रों का अवलोकन अवश्य करें बॉर्डर के बैरियर और अंतर राज्यीय सीमा के अंतर्गत सघन चेकिंग कराई जाए तथा सभी बूथों का निरीक्षण भी करें उन्होंने कहा कि मतदान मतगणना स्ट्रांग रूम आदि निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन सिक््योरिटी के लिए दी है उसी के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित प्रेक्षकों के द्वारा भी मतदान केंद्रों कंट्रोल रूम पोलिंग पटिया रवाना मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम आदि का निरीक्षण किया जाएगा जिसमें सभी संबंधित अधिकारी तैयारी के साथ उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे पुलिस फोर्स के साथ ब्रीफिंग भी की जाए जो पुलिस फोर्स अन्य जनपदों पर चुनाव कराने जा रही है उनको बताया जाए कि चुनाव के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है चुनाव प्रचार के दौरान वीवीआईपी के मूवमेंट को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए पोलिंग पार्टियों रवाना व मतदान समाप्ति के बाद मतगणना स्थल पर चुनाव सामग्री जमा करने के समय ट्रैफिक व्यवस्था विधिवत संचालित कराई जाए इसमें ट्रैफिक पुलिस व संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस सक्रीय होकर कार्य करें सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखें ताकि भ्रामक खबरें ना फैले अगर कोई खबर सही है तो तत्काल उसका निस्तारण कराया जाए और अगर कोई गलत खबर फैला रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए चुनाव आयोग प्रत्येक बिंदुओं को गंभीरता से लेता है और तत्काल कार्यवाही भी करता है निर्वाचन प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें किसी के कहने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्यवाही ना की जाए।

जिलाधिकारी ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा को अवगत कराया कि 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बांदा चित्रकूट के अंतर्गत जनपद में चित्रकूट व मानिकपुर दो विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 851 बूथ बनाए गए हैं तथा 21 जोन व 87 सेक्टर में विभाजित किया गया है उन्होंने कहा कि हर बूथ पर मतदाताओं के लिए छाया बैठने की व्यवस्था रैंप शौचालय फर्नीचर बाउंड्री वॉल आवागमन के रास्ते आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी में दिया जाएगा तथा पोलिंग पार्टियों को भी वहीं से रवाना होगी तथा मतगणना स्थल राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर बनाया गया है जो मतदान समाप्ति के बाद निर्वाचन सामग्री राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में दोनों विधानसभा की जमा होगी। उन्होंने कहा कि आप द्वारा जो दिशा निर्देश निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दी गई है उसी के अनुसार चुनाव निष्पक्ष बिना किसी अप्रिय घटना के निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने कहा की जनपद में निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए चारों तहसीलों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिसमें सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं तथा जनपद मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम संचालित कराया गया है उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ता टीम पुलिस बल, पाबंद की कार्यवाही गुंडा एकट हिस्ट्रीशीटर शस्त्र लाइसेंस अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही आदि विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री राजेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, उप जिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, उप जिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, उप जिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, मऊ श्री जयकरन सिंह, अपर उप जिलाधिकारी मोहम्मद जसीम, श्री सतीश चंद्र सहित संबंधित अधिकारी व समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

(8). आज दिनांक 03.04.2024 को आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री बालकृष्ण त्रिपाठी तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 की व्यवस्थाओं को देखते हुए राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट में बनाए गए मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

आयुक्त तथा डीआईजी ने राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर पर स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं तथा मतगणना स्थल में पांडाल व्यवस्था शौचालय पांडाल निर्वाचन सामग्री जमा करने की व्यवस्था यातायात का मूवमेंट आदि विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की अभी से ही मतगणना एवं स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं सभी सुनिश्चित कर ली जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड श्री सत्येंद्र नाथ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं04763/2014 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त विनीत पुत्र चन्द्रिका चौबे निवासी कन्या इण्टर कालेज वार्ड नं0 9 कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गंगा चरण प्रजापति तथा हमराही द्वारा अभियुक्त गोरेलाल पुत्र सूरज दीन निवासी हन्ना विनैका थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गंगा चरण प्रजापति थाना मऊ
2. मुख्य आरक्षी इकरार अहमद

(11). आज दिनांक 03.04.2024 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में चैत्र मास की सोमवती अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने को लेकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की सोमवती अमावस्या मेला का पर्व पड़ रहा है जो यह मेला 7 अप्रैल से 9 अप्रैल 2024 तक चलेगा, पूरे मेला क्षेत्र 3 जोन तथा 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि पूरे मेला क्षेत्र की अच्छी तरह से साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, अन्ना पशु भी न घूमने पाएं, उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद तथा यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें तथा पार्किंग का जो प्लान बनाया गया है तो वहां से संबंधित वाहन आगे नहीं जाना चाहिए जिला खनिज अधिकारी से कहा कि भारी वाहनों को मेला के दौरान प्रतिबंधित रखा जाए, उन्होंने अधिशासी अभियंता जल संस्थान से कहा कि गर्मी को देखते हुए रामघाट परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए तथा पार्किंग स्थानों पर भी टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की परिक्रमा मार्ग का अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए तथा वहां पर पान गुटका पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कराई जाए जिला पूर्ति अधिकारी से कहा कि गैस सिलेंडर जो दुकानदार प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ पूर्ति निरीक्षक अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि मेला के दौरान निर्वाध रूप से विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए अधिशासी अधिकारी से कहा कि जनरेटर की भी व्यवस्था रहेगी फायर सर्विस व्यवस्था रहे जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों को निर्देश दें कि किसी भी स्थिति में मेला के दौरान ट्रैक्टर ट्राली से तीर्थ यात्री ना आए सभी रास्तों पर निगरानी रखी जाए, उन्होंने सहायक अभियंता सिंचाई श्री गुरु प्रसाद से कहा कि रामघाट मंदाकिनी नदी पर नाव

गोताखोर , बैरीकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि पीली कोठी के रास्ते पर वाहन न खड़े होने पाए तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रामघाट व परिक्रमा मार्ग पर पान तंबाकू गुटखा पर भी रोक लगाई जाए उन्होंने कहा कि मेला के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करके मेला को सकुशल संपन्न कराएंगे, जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों से मेला को सफल संपन्न कराने के लिए वार्ता हुई है जिन विभागों को जो दायित्व दिया गया है उसी के अनुसार सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन वखूबी से करें भीड़ बढ़ती है तो डायवर्सन की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए उन्होंने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से यह भी कहा कि जो आपको दायित्व सौपा गया है उसका निर्वहन कराया जाए ताकि हम आप सब लोग मेला को सकुशल संपन्न करा सके। जिलाधिकारी ने सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी एवं यातायात प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि स्पीड एवं अधिक सवारी भरकर वाहन किसी भी दशा पर न चलने पाए अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोमवती अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी ड्यूटी में लगाए गए हैं वह समन्वय स्थापित करके मेला को सफल संपन्न कराए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी मझगवां मध्य प्रदेश श्री जे के वर्मा, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, टीआई नयागांव सतना मध्य प्रदेश श्री पंकज शुक्ला सहित मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(12). आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के नेतृत्व में थाना पहाड़ी क्षेत्र के, ग्राम कस्बा पहाड़ी, पचोखर, असोह, बाबूपुर, इटौरा, कपना, दरसेंडा, नांदी, तौरा में थाना पहाड़ी पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।